15 वीं विधानसभा, 2 (दूसरा) सत्र

प्रश्न सं. 4646

अतारांकित

इलैक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल

प्रश्न –

1. क्या यह सही है कि चिकित्सा विभाग में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम 2018 गजट नोटीफाई हो गया है? यदि हां, तो गजट की प्रति सदन की मेज पर रखें।
2. क्या यह सही है कि इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किया जा चुका है? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।
3. क्या यह सही है कि बोर्ड का गठन कर अध्यक्ष व सदस्य बनाये गये है, यदि हां, तो किस–किस को? व नहीं तो क्या बोर्ड का गठन नहीं हुआ है एवं कब होगा, गठन नहीं करने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर –

1 जी हां। प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

2 जी नहीं।

3 जी नहीं। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा बोर्ड के गठन के लिए पत्रावली विधानसभा चुनाव–2018 हेतु आदर्श आचार संहिता के दौरान प्राप्त होने तथा वर्तमान में प्रकरण निवर्तमान सरकार के गत 6 माह में लिए गये निर्णयों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय समिति में विचारार्थ रहने के कारण बोर्ड का गठन नहीं हुआ है ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमण्डल सचिवालय से अग्रिम निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।